न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 17 / 2025

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2025 / 63

प्रार्थीगण	अप्रार्थीगण
1 छगन पुत्र मनजी वगैरह	अनाड़सिंह पुत्र पृथ्वीसिंह वगैरह

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख रजु :– 15.04.2025

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री बाबुलाल पालड़िया उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 26 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

:– निर्णय :–

दिनांक :– 29.04.2026

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि सरहद मौजा बिछावाड़ी वर्तमान राजस्व ग्राम अमरापूरी, तहसील–सांचौर में प्रार्थीगण के पुश्तैनी हक हकूक की कदीमी कब्जासुदा खातेदारी आराजी साबिक खसरा नंबर 291 नामी घूमड़ावाला रकबा 18 बीघा 10 बिस्वा स्थित है। नवीन भू–प्रबन्ध कार्यवाही में उक्त आराजी के नवीन खसरा नंबर 400 रकबा 2.99 हैक्टेयर तजवीज हुई है। वादग्रस्त आराजी साबिक खसरा नंबर 291 रकबा 18 बीघा 10 बिस्वा, नवीन खसरा नंबर 400 रकबा 2.99 हैक्टेयर मौजा बिछावाड़ी का प्रथम भू–प्रबन्ध से ही पूर्व से लगाकर इसके मूल खातेदारान प्रार्थीगण के पिता दरगला, मनजी पिसरान मासींगाजी कौम कोली थे। प्रार्थीगण के पूर्वज दरगला, मनजी पिसरान मासींगा उपरोक्त पर आराजी वादग्रस्त जागीरीकाल से ही काबिज काश्त होकर अन्दर निरन्तर खेती करते रहे है। प्रार्थीगण के पिता दरगला, मनजी पिसरान मासींगा कौम कोली वादग्रस्त आराजी साबिक खसरा नंबर 291 रकबा 18 बीघा 10 बिस्वा, नवीन खसरा नंबर 400 रकबा 2.99 हैक्टेयर मौजा बिछावाड़ी (हाल अमरापूरी) के विधि सम्मत खातेदारान् होकर इनकी मृत्यु के बाद से उपरोक्त वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण को निर्वसियती पुश्तैनी संपति के रूप में प्रार्थीगण को उतराधिकार में प्राप्त हुई है तब से लगातार आज दिन तक प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदारान् के रूप में अन्दर काबिज काश्त होकर अन्दर निरन्तर खेती करते रहे है। मूलवाद में उल्लेखित आधारों पर प्रकरण अनवान में सुनवाई के समुचित आधार होकर प्रार्थीगण के पक्ष में एक मजबूत प्रथम दृष्टया मामला है। वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी संपति के रूप में प्रार्थीगण के बाप दादों से लगाकर आदिनांक निरन्तर सहज व शांति पूर्वक प्रार्थीगण के कब्जाकाश्त में होकर प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि की सदैव राज्य शासन को लगान अदा करने के परिणामस्वरूप सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि बाद सुनवाई प्रार्थीगण यह प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर बहक प्रार्थीगण विरूद्ध

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

बिछावाड़ी वर्तमान राजस्व ग्राम अमरापूरी में स्थित वादग्रस्त आराजी साबिक खसरा नंबर 400 रकबा 2.99 हैक्टेयर आगे किसी को अन्य संक्रमण न कर प्रार्थीगण के कब्जाकाश्त में व्यवधान नहीं कर मौका एवं रेकर्ड की यथास्थिति कायम रखें।

अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 26 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

हमनें अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा बिछावाड़ी वर्तमान राजस्व ग्राम अमरापूरी में स्थित वादग्रस्त आराजी पुराना खसरा संख्या 291 रकबा 18 बीघा 10 बिस्वा जिसके नवीन खसरा संख्या 400 रकबा 2.99 हैक्टेयर भूमि पर अप्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, **आर.ए.एस**)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचौर
सहायक कलक्टर सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

निर्णय आज दिनांक **29.04.2026** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचौर
सहायक कलक्टर सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)